तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.38/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
15.6.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल पुत्र रमेश लाल अग्रवाल, निवासी– हनुमान मन्दिर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रवाल जनरल स्टोर, हनुमान मन्दिर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 22.1.2022 को फर्म अग्रवाल जनरल स्टोर, हनुमान मन्दिर के पास, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1615 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./298/Act/2022/279 दिनांक 11.2.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा उपस्थित हुये, जिन्होनें प्रकरण में दिनांक 09.6.2023 को प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 09.6.2023 को ही प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के वकील ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल द्वारा विक्रय किया गया मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) के मिथ्याछाप होने की जानकारी प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने पर प्राप्त हुई। प्रतिवादी ने मिथ्याछाप मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) का निर्माण व पैकिंग नही की है। मिथ्याछाप मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व लेबलिंग निर्माता फर्म द्वारा की गई है, लेकिन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म को पक्षकार नही बनाया है। अतः पक्षकारों के कुंसोयजन के कारण प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बह[illegible] तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गं[illegible] अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पा[illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी, [illegible]स्थ्य ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रशा., जिला कलेक्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.38/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 22.1.2022 को फर्म अग्रवाल जनरल स्टोर, हनुमान मन्दिर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल पुत्र रमेशलाल अग्रवाल, निवासी– हनुमान मन्दिर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) के 15 पैक्ड बोतल (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1615 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./298/Act/2022/279 दिनांक 11.2.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (सुमेरपुर दुर्गा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल पुत्र रमेश लाल अग्रवाल, निवासी– हनुमान मन्दिर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रवाल जनरल स्टोर, हनुमान मन्दिर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाड़ा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सि[illegible] Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त[illegible]सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एव[illegible]लय में 15 दिन के भीत[illegible] निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्मान[illegible]राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 14.7.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) [illegible] सिरोही–307001	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:45 IST
Reason: SelfAttested